

फर्द अहकाम

बनाम _____

मा / वर्ष : _____ / 20 _____

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/25	<p>पत्तावली पेय हुई कमील जमीन अजमीन को समूह करके डाउ ले लेने एबु माह ले अधिक का समय हो चुका है सम्मन अलग तारीख पर लिखे जाते नहीं अतः तारीख सम्यक मानी जाती है।</p> <p>सम्यक तारीख के उपरान्त अजमीन धारी नहीं अतः इनके किंडे एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>बहल कमील जमीन सुने व पत्तावली का अवलोकन करने के उपरान्त हम पाते हैं कि अजमीन सदस्यदेदार हैं एवं वादग्रस्त सूक्ति का विविध विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद की बहुलता को रोकने व वाद भीषण-वस्तु को बनाए रखने के लिए प्राथमिक फल के चरण स. 2 में उल्लेखित सूक्ति पर उभयपक्षों को मोड़ने की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्तावली केसल शुमार होकर दर्ज नंबर (1000 हो)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी चाकण (जयपुर)</p>	